8 नवंबर, 2013 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 60.13 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 13.5426 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड (पूर्व में पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड) जो सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

13.5426 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 सितंबर, 2007 को अधिसूचित हो गया है।

अब विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि पूरे प्रयासों के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने अभी तक अपनी एसईजेड नीति लेकर नहीं आई है जिसकी वजह से मार्च 2008 में ही प्रस्तुत किए जाने के बावजूद एसईजेड का लेआउट प्लान अनुमोदित नहीं हो सका है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विमुक्तीकरण के अनुरोध की सिफारिश की है क्योंकि विकासक द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है तथा औपचारिक एलओए की वैधता अवधि भी समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने उत्तराखंड राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 25.7177 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम राखा और रानी का सिंगोला, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है का विकासक, से अनुरोध

मैसर्स मयार इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 41.57 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन दिनांक 26 जुलाई 2007 प्रदान किया गया है। चूंकि भूमि संस्पर्शी नहीं थी इसलिए 4 जून 2008 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने बायोटेक एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को दो अलग एसईजेड में विभाजित करने के लिए मंजूरी प्रदान की। तद्नुसार वाणिज्य विभाग द्वारा दो औपचारिक अनुमोदन दिनांक 14 जुलाई 2008 जारी किए गए। दोनों एसईजेड निम्नानुसार अधिसूचित किए गए हैं :

(i) **25.7177 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचना दिनांक 8 सितंबर 2008; और**
(ii) **12.4928 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचना दिनांक 9 सितंबर 2008**

इसके बाद, विकासक ने एसईजेड के दो अधिसूचित क्षेत्र के बीच मौजूदा 3.5 मीटर चौड़ा चक रास्ता पर ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करके दोनों एसईजेड के विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 15 मार्च 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक में प्रस्ताव रखा गया था

जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ओवरब्रिज / अंडरपास का निर्माण करके सबसे पहले सन्निकटता स्थापित करेगा।

अब विकासक ने अपने एसईजेड के संपूर्ण 25.7177 हेक्टेयर को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिसका कारण यह है कि भारी लागत एवं व्यय को देखते हुए परियोजना लाभप्रद नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने हरियाणा राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। तथापि, सेवा कर आयुक्त, गुड़गांव से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.14 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 दिसंबर, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 20 दिसंबर, 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन को चार एक्सटेंशन प्रदान किए गए हैं जो 19 दिसंबर, 2013 तक वैध है।

कस्बा आयोजना स्कीम की मंजूरी में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) से अंतिम भूखंड के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण विकासक ने अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से 19 दिसंबर 2013 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। सूचित किया गया है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में टीपी योजना अनुमोदित की है और इसलिए निर्माण शुरू करने में एक और साल का विलंब है। इस समय एसईजेड क्षेत्र की चारदीवारी तथा प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को अलग करने वाली चारदीवारी का निर्माण चल रहा है जो दिसंबर 2013 तक पूर्ण हो जाएगा।

अब तक विकासक द्वारा भूमि के अधिग्रहण तथा अन्य प्रभारों पर किया गया कुल निवेश 50 करोड़ रुपए है। उन्होंने साइट की सफाई, साइट के सर्वेक्षण तथा लेवलिंग तथा चारदीवारी के निर्माण कार्य के लिए कुल 1.23 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.15 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सन फर्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को (1) विभिन्न फर्मास्युटिकल फर्मुलेशन अर्थात टेबलेट, कैप्सूल; और (2) विभिन्न फर्मास्युटिकल बल्क ड्रग के निर्माण एवं निर्यात के लिए 16 दिसंबर 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था।

यूनिट को नियम 19 (4) के पहले परंतुक के तहत विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के तहत 15 दिसंबर 2012 तक तीसरा विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट ने 15 दिसंबर, 2012 के बाद एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। 15 मार्च 2013 को आयोजित अपनी 57वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 15 दिसंबर 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी।

यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने परियोजना के लिए 211.76 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा 193 लोगों को रोजगार दिया है।

यूनिट ने अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया है तथा परियोजना के लिए विभिन्न अनिवार्य / सांविधिक विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा यूएस को आपूर्ति करने के लिए उन्होंने अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां शुरू की है जो जून जुलाई 2014 तक पूरी हो जाएंगी।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने 15 दिसंबर, 2014 तक एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 2 दिसंबर, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 दिसंबर, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने विनिर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 02 दिसंबर, 2012 तक बढ़ाई थी। 18 जनवरी 2013 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 2 दिसंबर 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी। अब यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने कारखाना भवन का निर्माण पूरा कर लिया है, अपेक्षित प्लांट एवं मशीनरी इंस्टाल कर ली है तथा परियोजना के लिए अनिवार्य / सांविधिक विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। यूनिट ने परियोजना पर 495.93 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने यूरोपीय संघ तथा यूएस से विनियामक अनुमोदन के लिए वैधता अवधि (प्रायोगिक) बैच का विनिर्माण शुरू कर दिया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.16 : प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

(i) मैसर्स रिन्यू प्लास्टिक्स जो केएएसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट है, के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया है कि उनके जोन में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली 20 यूनिटें हैं। इनमें से 19 यूनिटों को मुख्य एजेंडा में शामिल किया जा चुका है।

अब विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने उनके एलओपी के नवीकरण के लिए 20वीं यूनिट अर्थात मैसर्स रिन्यू प्लास्टिक के नाम की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 60.17 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फर्मास्युटिकल एसईजेड की यूनिट है, की अपील

निर्धारित प्रपत्र में यूनिट की अपील 31 अक्टूबर 2013 को प्राप्त हुई है।

मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, को इंट्रा ओकुलर लेंस किट के विनिर्माण के लिए 6 जून 2008 को एलओपी प्रदान किया गया था जिसकी वैधताव अवधि विकास आयुक्त द्वारा 31 मार्च 2011 तक बढ़ाई गई। यूनिट ने निर्धारित अवधि के अलावा 31 मार्च 2013 तक बढ़ाई गई अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन नहीं शुरू किया। यूनिट ने विकास आयुक्त से एलओपी की वैधता अवधि का कोई विस्तार प्राप्त नहीं किया। तद्नुसार आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2012 के माध्यम से केएएसईजेड ने 31 मार्च 2011 से निरस्तीकरण की सूचना प्रदान की। यूनिट ने आरोप लगाया है कि सुनवाई के लिए तर्कसंगत अवसर प्रदान किए बगैर एलओए को निरस्त कर लिया गया।

उपर्युक्त से व्यथित यूनिट ने 28 जनवरी 2013 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में एसएलए दाखिल की। इसे 3 जुलाई 2013 को खारिज कर दिया गया। अपील को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

"हम याची के आचरण से संतुष्ट नहीं हैं। सहानुभूति या संवेदना अपने आप में वादी के पक्ष में आदेश पारित करने का आधार नहीं होना चाहिए, जो सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करने में असफल रहा है और अधिक विशेष रूप से जब ऐसे गैर अनुपालन से वह उद्देश्य ही विफल हो जाता है जिसके लिए भूमि अधिनियम अधिनियमित किया गया।"

अब यूनिट ने सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपने एलओए को निरस्त करने के संबंध में विकास आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष निजी सुनवाई के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 1)। विकास आयुक्त, केएएसईजेड से यूनिट के अनुरोध पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया। विकास आयुक्त, केएएसईजेड की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

"एक साल की अगली अवधि के लिए उनके एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 16 (4) के तहत अनुमोदन बोर्ड के समक्ष याचिका के रूप में उनके पत्र पर विचार करने के लिए उनके पत्र के पैरा 7 में उक्त पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, इस समय इस पर विचार नहीं किया जा सकता है या सिफारिश नहीं की जा सकती। घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उक्त पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह है कि वे नए एलओए के लिए आवेदन करें यदि उक्त पक्ष ने विकासक द्वारा भूमि की उपलब्धता एवं आवंटन के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।"

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****